भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 2953

दिनांक 13.08.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

विदेशों में रह रहे भारतीयों पर हमले

2953 श्री अनिल कुमार यादव मंदादी:

क्या ***विदेश*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने इस बात की ओर ध्यान दिया है कि विदेशों में रह रहे भारतीयों पर हमले की घटनाओं में वृद्धि हो रही है, जिससे विदेशी भूमि पर उनके जीवन को खतरा उत्पन्न हो रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो विगत पाँच वर्षों के दौरान ऐसी घटनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) विदेशों में रह रहे भारतीयों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा तथा उनकी रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विदेश राज्य मंत्री

[श्री कीर्तवर्धन सिंह]

(क) से (ग) इस मंत्रालय के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, पिछले 5 वर्षों के दौरान विदेशों में रह रहे भारतीयों पर हमलों की घटनाओं की संख्या अनुबंध 'क' में दी गई है।

विदेशों में भारतीयों की सुरक्षा और संरक्षा भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारतीय मिशन/केंद्र सतर्क रहते हैं और विदेशों में भारतीय नागरिकों को प्रभावित करने वाली किसी भी अप्रिय घटना पर बारीकी से नज़र रखते हैं। ऐसी घटनाओं को तुरंत संबंधित मेजबान देश के अधिकारियों के समक्ष उठाया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मामलों की उचित जांच की जाए और अपराधियों को उनके घरेलू कानूनों के अनुसार दंडित किया जाए।

विदेशों में स्थित भारतीय मिशन/केंद्र आवश्यकता पड़ने पर भारतीय नागरिकों को हर संभव कोंसली सहायता प्रदान करते हैं। भारतीय नागरिक अपनी शिकायतों के शीघ्र निवारण के लिए वॉक–इन, ईमेल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, 24x7 आपातकालीन टेलीफोन नंबरों और टोल–फ्री हेल्पलाइन, संकट में

प्रवासी भारतीयों की मदद के लिए विदेश मंत्रालय 'मदद', 'सेंट्रलाइज़्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम' (सीपी ग्राम्स) जैसे शिकायत निवारण पोर्टलों के माध्यम से विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों/केंद्रों से संपर्क कर सकते हैं। मिशन और केंद्र जरूरत पड़ने पर कानूनी सहायता प्रदान करने में भी मदद करते हैं। जिन देशों में भारतीय समुदाय की अच्छी–खासी संख्या है, वहां मिशनों और केंद्रों द्वारा वकीलों का एक स्थानीय पैनल बनाए रखा जाता है।

विदेशों में संकटग्रस्त भारतीय नागरिकों को किसी भी आकस्मिक व्यय को पूरा करने के लिए विदेशों में स्थित सभी भारतीय मिशनों/केंद्रों में स्थापित 'भारतीय समुदाय कल्याण कोष' (आई सी डब्ल्यू एफ) के तहत साधन–परीक्षण के आधार पर सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, विदेशों में संकटग्रस्त भारतीय नागरिकों को सहायता प्रदान करने के लिए दुबई, शारजाह, रियाद, जेद्दा और कुआलालंपुर में 'प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र' (पी बी एस के) स्थापित किए गए हैं। भारतीय नागरिकों के लिए समय–समय पर परामर्शी जारी किए जाते हैं, जिनमें उनसे उचित सावधानी बरतने और सतर्क रहने को कहा जाता है। सरकार विदेशों में भारतीय नागरिकों के जीवन को प्रभावित करने वाले घटनाक्रमों के प्रति सतर्क रहती है और उनके हितों और कल्याण की रक्षा के लिए सभी उपाय करती है। यह मंत्रालय सभी स्तरों पर महत्वपूर्ण कोंसली मुद्दों पर नियमित आदान–प्रदान के लिए विदेशी सरकारों के साथ कोंसली वार्ता भी आयोजित करता है।

अनुबंध–क

क्र. सं.	देश/क्षेत्र	वर्ष में विदेशों में रह रहे भारतीयों पर हमले की घटनाओं की संख्या–				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	आर्मेनिया	0	1	1	0	2
2	ऑस्ट्रेलिया	0	1	2	2	3
3	बहरीन	0	0	0	2	0
4	बेल्जियम	0	0	1	1	1
5	बोत्सवाना	0	1	0	1	1
6	कनाडा	3	6	6	7	8
7	कोलंबिया	0	0	2	0	0
8	कोट द' आइवर	0	0	0	3	0
9	क्रोएशिया	0	0	0	3	2
10	डेनमार्क	0	0	0	0	1
11	इथोपिया	0	0	0	0	1
12	जर्मनी	0	0	3	12	4
13	हंगरी	0	0	0	0	1
14	ईरान	0	0	1	0	0
15	आयरलैंड	1	1	5	7	10
16	इटली	0	0	0	4	0
17	किर्गिस्तान	1	0	0	0	1
18	लातविया	0	0	0	1	4
19	मेडागास्कर	2	0	1	0	0
20	मलेशिया	0	2	3	1	4
21	माली	0	0	0	0	11
22	माल्टा	0	0	1	0	0
23	नाइजर	0	0	0	0	2
24	नाइजीरिया	1	1	0	6	0

25	फिलीपींस	0	0	5	3	5
26	पोलैंड	0	0	2	1	0
27	पुर्तगाल	0	0	2	0	1
28	कतर	1	2	0	0	0
29	रूस	1	0	12	2	8
30	स्लोवेनिया	0	0	0	0	1
31	ओमान	0	1	0	1	0
32	संयुक्त अरब अमीरात	3	4	7	6	12
33	युगांडा	0	1	1	1	1
34	यूक्रेन	0	0	0	0	1
35	यूनाइटेड किंगडम	1	4	11	10	5
36	संयुक्त राज्य अमेरिका	1	6	1	11	14
